

फद अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

बनाम श्रीमान श्री
 मुकदमा नं. 28/11/19 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p><u>10.10.19</u> आज पत्रावली पेश हुई। वादी वकील ने शर्चना पत्र पेश किया। सां पत्र पर पत्रावली तालब की गई। सां पत्र में अंकित किया गया है कि हम पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया अब वादी वाद आगे नहीं चलाना चाहता है। श्रीमान त्रिवेदन है कि मूलवाद Not Press में खारिज कर दिया जावे। सां पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सां पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः मूलवाद Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर दफ्तर्दखिल हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</p>	<p>28/11/19</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)</p> <p style="text-align: right;">not press</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>